

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2438
उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025
24 अग्रहायण, 1947 (शक)
'खेल नहीं तो रोजगार नहीं' नीति

†2438. श्री इमरान मसूद:

- क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या सरकार "खेल नहीं तो रोजगार नहीं" जैसी किसी प्रोत्साहन नीति पर विचार कर रही है ताकि खेलों को करियर विकल्प के रूप में मान्यता दी जा सके;
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त नीति में किन खेलों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने नौकरियों में आरक्षण या पदोन्नति के लिए खिलाड़ियों को वरीयता देने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रावधान क्या हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त नीति के लिए कोई समयबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ.): ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, केंद्र सरकार के कार्यालयों में खेल कोटा रिक्तियों में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 (दिनांक 18.11.2022 और 04.03.2024 के का.ज्ञा. के तहत बाद में समेकित किया गया) के का.ज्ञा.सं. 14034/01/2013-ईएसटी (डी) के तहत जारी समेकित अनुदेशों के अनुसार की जाती है। ये अनुदेश <https://doptcirculars.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
